क्रम-संख्या–144(क–11)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/kk;h ifjf'k"V
Hkkx–1] [k.M ¼d½
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

y[kuÅ] lkseokj] 21 vxLr] 2023
Jko.k 30] 1945 'kd lEor~

mRrj çns'k 'kklu
fo/kk;h vuqHkkx&1

———————

संख्या 415/79-वि-1–2023-1-क-14-2023
लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

———————

अधिसूचना

fofo/k

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–5 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों,सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कालेजों या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज द्वारा संचालित एवं प्रबन्धकृत विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन और उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित एवं आयोजित करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

2—(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत अधिनियमों सेवा नियमावलियों/विश्वविद्यालय परिनियमावलियों में नियुक्ति करने हेतु सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ग) "परिषद" का तात्पर्य क्रमशः माध्यमिक शिक्षा,बेसिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद,प्रयागराज अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश,लखनऊ से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसमें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में,तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(ङ) "आयोग" का तात्पर्य धारा—3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है;

(च) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, उच्च शिक्षा या निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या निदेशक, बेसिक शिक्षा या निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण या निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन तथा महानिदेशक, अटल आवासीय विद्यालय से है और इसमें संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा सम्मिलित हैं;

(छ) 'संस्था' का तात्पर्य निम्नलिखित किसी संस्था से हैः—

(एक) कोई सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय,जिन्हें सम्बद्धता का विशेषाधिकार, क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया हो;

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या हाईस्कूल तथा इनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(तीन) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कालेज या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या अल्पसंख्यक हाईस्कूल तथा इनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(चार) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत कोई विद्यालय;

(पाँच) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(छः) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा शासित कोई सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूल तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(सात) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान;

(आठ) अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय।

(ज) "अनुदेशक" का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है;

(झ) किसी संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्धतन्त्र" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति से या उस संस्था के कार्यों का प्रबन्ध तथा संचालन करने की शक्तियों से युक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से है;

(ञ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;

(ट) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ड) "विनियमावली" का तात्पर्य धारा 28 के अधीन बनायी गयी विनियमावली से है;

(ढ) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था में अनुदेश देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है तथा जिसमें कोई प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक सम्मिलित हैं;

(ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की एक जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973), इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921), उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम, नियमावली तथा परिनियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

vk;kx dh LFkkiuk vkj mlds —R;

आयोग की स्थापना

3–(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना के माध्यम से नियत किये जाने वाले दिनांक से "उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग" नामक एक आयोग स्थापित किया जायेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा। वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा।

आयोग की संरचना

4–(1) आयोग में एक अध्यक्ष और बारह सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह होगा, यदि वह,–

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो; या

(ख) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो; या

(ग) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो या रहा हो और जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो;

(3) सदस्यों में से,–

(क) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य हो या रहा हो और जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या कोई अन्य समकक्ष पद धारित किया हो;

(ख) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(ग) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपर निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(घ) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(ङ) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, बेसिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(च) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश स्तर) से संबंधित रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(छ) छह सदस्य ऐसे शिक्षाविद् होंगे, जिनकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों, और जिन्होंने राज्य सरकार की राय में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यक्ष नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस रूप में पद धारण नहीं करेगा, इनमें से जो भी पहले हो।

इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सदस्य नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा, जो भी पहले हो।

(2) कोई व्यक्ति दो पदावधियों से अधिक के लिए अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित रूप में स्वहस्ताक्षर से अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा/रहेगी जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों का पद, पूर्णकालिक होगा और अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे।

अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6–(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह,–

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया न्याय–निर्णीत किया गया हो; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी संदत्त सेवायोजन में अभिनियोजित हो; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्धकदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो।

Li"Vhdj.k :–(1) जहाँ अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी रूप में सम्बद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसकी प्रसुविधाओं में या उससे उद्भूत होने वाली किसी प्रसुविधा या परिलब्धि में सदस्य से भिन्न अन्यथा रूप में सहभागी हो वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार का अन्वेषण करने और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

सहयुक्त करने की शक्ति

7–आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह, वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

आयोग का कर्मचारी वर्ग

8–(1) आयोग का सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और उपसचिव राज्य सरकार द्वारा अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जायेंगे और उनकी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाने वाले निदेशों के अध्यधीन, आयोग, ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसे निबन्धन और सेवा शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, पर नियुक्त कर सकता है।

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

9–आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात–

(क) अध्यापकों या अनुदेशकों की सीधी भर्ती की रीति से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) अध्यापकों या अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, परीक्षा संचालित करना और साक्षात्कार आयोजित करना तथा अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित और संचालित करना;

(घ) खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों का चयन करना तथा उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(ङ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

(च) अध्यापकों या अनुदेशकों की सदस्य संख्या और अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति किये जाने के लिए रिक्तियों के सम्बन्ध में संस्थाओं से नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं शासन के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त करना;

(छ) विशेषज्ञों की परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) आयोग के निस्तारणार्थ रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि विहित किया जाय, या जो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अधीन अपने कृत्यों का निस्तारण करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों;

(ञ) चयन/नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर बनायी गयी नीति/प्रक्रिया के उपबन्धों का अनुसरण करना।

रिक्तियों का अवधारण, अधियाचन एवं चयन प्रक्रिया

10–(1) सीधी भर्ती द्वारा अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतंत्र या प्राधिकृत अधिकारी विद्यमान या भर्ती वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी पद की स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी, जैसा कि विहित किया जाय, के माध्यम से आयोग को अधिसूचित करेगा। आयोग पात्रता का विनिश्चय करेगा और तदनुसार यथा विहित रीति से प्राप्त रिक्तियों को विज्ञापित करेगा।

(2) अध्यापकों या अनुदेशकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में नियुक्ति के संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु उस धर्म एवं भाषा विशेष के शिक्षाविदों (धर्मशास्त्र एवं संस्कृति का ज्ञान रखने वाले) को अनिवार्य रूप से चयन की प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करते हुए चयन की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी।

अभ्यर्थियों का पैनल/सूची

11—(1) आयोग, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति अधिसूचित किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षा आयोजित करेगा अथवा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा अथवा परीक्षा आयोजित करेगा और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पायें जायें उनका पैनल/सूची तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल, धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, अग्रसारित किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के सम्बन्ध में चयनित अभ्यर्थियों के नाम, विहित रीति से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा और विहित रीति से चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण में सुगमता प्रदान करेगा।

(5) जहाँ ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति—पत्र में अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, ऐसी संस्था में किसी अध्यापक या अनुदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल/सूची से नया नाम या नये नाम, विहित रीति से सूचित करेगा। ऐसी समय सीमा नियुक्ति—पत्र जारी किये जाने के दिनांक के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी।

(6) यदि प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी किसी चयनित अभ्यर्थी को युक्तियुक्त कारणों (प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी को यथोचित कारण उल्लिखित करना है) से नियुक्ति—पत्र जारी करने में विफल हो जाता है तो उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थियों की सूची/पैनल से शेष अभ्यर्थियों का एक पैनल संस्थान को केवल एक बार उपलब्ध कराया जायेगा। फिर भी यदि प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति—पत्र जारी करने में विफल रहता है तो संबंधित पद को विहित पद्धति के अनुसार समाप्त कर दिया जायेगा।

अध्याय तीन

p;fur v/;kidk@vun'kdk dh fu;fä

आयोग की संस्तुतियों पर ही नियुक्ति किया जाना

12—अध्यापक या अनुदेशक की प्रत्येक नियुक्ति, आयोग की संस्तुति पर ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी कोई नियुक्ति शून्य हो जायेगी:

परंतु यह कि किसी अध्यापक या अनुदेशक की एक संस्था से दूसरी में स्थानांतरण द्वारा अथवा किसी संस्था में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अथवा सेवाकाल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित के रूप में किसी अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति सुसंगत अधिनियमों या नियमावलियों या विनियमावलियों में दिये गये उपबंधों के अनुसार की जा सकती है।

निदेशक द्वारा जाँच

13—(1) जहाँ कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अध्यापक या अनुदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने का हकदार हो, किन्तु तद् निमित्त उपबन्धित समय के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां वह निदेशक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को इस धारा की उपधारा (2) के अधीन निदेश के लिए अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से यथा सम्भव एक माह के भीतर, निदेशक, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जाँच आयोजित कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवेदक को अध्यापक या अनुदेशक के रूप में नियुक्त करने में विफल हो गया हो तो वह आदेश द्वारा,—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को अध्यापक या अनुदेशक के रूप में आवेदक को तत्काल नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने का निदेश दे सकता है; और

(ख) सम्बन्धित संस्था के प्रधान को आवेदक से अध्यापक या अनुदेशक के रूप में कार्य लेने का निदेश दे सकता है।

(3) ऐसे अध्यापक या अनुदेशक को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर कलेक्टर द्वारा संस्था को चलाने वाली सोसायटी या निकाय की, या उसमें निहित सम्पत्ति से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है।

आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार न ग्रहण करने पर समायोजन की रीति

14–यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन या सेवाकाल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति या मा0 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी आदेश अथवा पद समाप्ति अथवा अन्य किसी कारण (विनिर्दिष्ट कारण का उल्लेख सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जाएगा), से धारा 11 के उपबन्धों के अधीन प्रेषित पैनल/सूची में आयोग द्वारा संस्तुत कोई चयनित अभ्यर्थी, अनुज्ञात संस्था में कार्यभार ग्रहण करने में विफल हो, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

(क) ऐसे चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुये अपना अभ्यावेदन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा;

(ख) निदेशक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विस्तृत जाँच करने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण अधियाचन प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और चयनित अभ्यर्थी के समायोजन हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेगा;

(ग) निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आयोग अविज्ञापित अधियाचन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा और समायोजन के पश्चात् चयनित पैनल/सूची विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा या उपलब्ध कराएगा;

(घ) खण्ड (ग) के अधीन प्रेषित पैनल/सूची के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी, धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करेगा।

सूचना मंगाने और अभिलेख एवं रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने की शक्ति

15–आयोग धारा 9 में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, और प्राधिकृत अधिकारी तद्नुसार उसका अनुपालन करेगा।

अध्यापकों या अनुदेशकों की सेवा शर्तें

16–अध्यापक या अनुदेशक की सेवा शर्तों का विनिश्चय, यथास्थिति सुसंगत अधिनियमों/सेवा नियमावलियों/विनियमावलियों/विश्वविद्यालय परिनियमावलियों में दिये गये उपबंधों के अनुसार किया जा सकता है।

अध्याय–चार

okf"kd fjikV vkj y[kk

आयोग का वित्तीय प्रबन्ध

17–(1) आयोग का वित्तीय प्रबन्ध, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1, 2, 3 और 5 में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा:

परन्तु यह कि आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामलों में विशेष विनियमावली बना सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) आयोग का व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से और फीस आदि स्वरूप प्राप्तियों से उपधारा (1) में उल्लिखित नियमों और राज्य सरकार के नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार उपगत किया जायेगा। कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों या राज्य सरकार के आदेशों, यदि कोई हों, का उल्लंघन करके कोई व्यय उपगत करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(3) आय–व्ययक का प्राक्कलन, सचिव के पर्यवेक्षणानुसार और निदेशानुसार वित्त नियत्रंक द्वारा तैयार किया जायेगा और व्ययक को, आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् बजट के उपबंधों के अनुसार उपगत किया जायेगा।

(4) अध्यक्ष स्वयं के, सदस्यों, सचिव, उप सचिव और वित्त नियंत्रक के संबंध में नियत्रंक अधिकारी होगा और आयोग द्वारा अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाने वाली अन्य समस्त वित्तीय शक्तियों के अतिरिक्त ऐसी समस्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विभागाध्यक्ष में साधारणतया निहित हों।

(5) (एक) सचिव, आहरण एवं वितरण अधिकारी होगा किन्तु यदि वह आवश्यक समझे तो लिखित आदेश द्वारा ऐसी समस्त या कोई शक्तियां उप सचिव को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(दो) सचिव किसी कार्यालयाध्यक्ष में निहित समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त आयोग ऐसी अन्य वित्तीय शक्तियां सचिव को प्रतिनिधानित कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

वार्षिक रिपोर्ट

18—आयोग, प्रतिवर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उसके पूर्ववर्ती वर्ष के कार्यकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां, राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार द्वारा उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

19—(1) आयोग अपने लेखा के सम्बन्ध में ऐसी लेखा बहियां और अन्य बहियां, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखवायेगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(2) आयोग अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लेखा विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे महालेखाकार को नियंत्रक—महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम—1971 (अधिनियम संख्या 56 सन् 1971) की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिये ऐसे दिनांक, जैसा कि राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे, तक अग्रसारित करेगा।

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और उसके साथ—साथ उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय—पाँच

çdh.k

अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति किये जाने के लिए दण्ड

20—नियुक्ति प्राधिकारी, प्रबन्धतंत्र तथा संस्था से तात्पर्यित कोई इकाई, जो आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन करने में विफल हो या धारा—13 के अधीन निदेशक के आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल हो या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक की नियुक्ति करे, विधिक कार्यवाही के लिये दायी होगा।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

21—इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अभियोजन का वर्जन

22—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, निदेशक या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य व विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

कतिपय कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

23—आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि—

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका तत्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण

24—आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, धारा 8 के अधीन नियुक्त सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

प्रत्यायोजन

25—आयोग धारा 28 के अधीन बनायी गयी विनियमावली द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्य के सामान्य अधीक्षण और उनके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति, जिसमें कार्यालय अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन हेतु उपगत व्यय से सम्बन्धित शक्ति सम्मिलित है, प्रत्यायोजित कर सकता है।

26—आयोग को व्यावहारिक रूप से क्रियाशील करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारि—वर्ग आयोग को अन्तरित किये जायेंगे। समय के प्रक्रम में, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाप्त किये जाने के पश्चात् उनके समक्ष लम्बित कोई मामला, उनकी आस्तियां, ऋण, देनदारियां, बाध्यतायें एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवायें आयोग को अन्तरित हो जायेंगी। आस्तियों एवं मामलों का अन्तरण

27—(1) राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियमों को बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र कुल चौदह दिनों की अवधि का हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो, रखा जायेगा और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से ऐसे उपान्तरणों अथवा बातिलकरण के अध्यधीन प्रभावी होंगे, जो विधानमण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, तथापि इस प्रकार का कोई उपान्तरण अथवा बातिलकरण तद्धीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

28—(1) आयोग, परीक्षाएं आयोजित करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने के लिए शुल्क विहित करते हुए और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियमावली बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है। विनियम बनाने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

29—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ किसी अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन,उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

30—अध्यापकों या अनुदेशकों के चयन के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 में अन्तर्विष्ट नियमों, विनियमों या परिनियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे। अध्यादेश के अभिभावी प्रभाव

31—(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2019 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। निरसन और व्यावृत्तियां

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन से, उपबंध प्रवर्तन से संबंधित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

————

उद्देश्य एवं कारण

वर्तमान में , उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यापकों के चयन के लिए विभिन्न आयोग हैं) :एक(राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग;)दो(अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों के अध्यापकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड; (तीन) सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु सम्बन्धित प्रबन्ध समिति ; (चार) परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के चयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सचिव , बेसिक शिक्षा परिषद ; (पाँच) व्यावसायिक शिक्षा विभाग में अनुदेशकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।

उपरोल्लिखित आयोगों/संस्थाओं द्वारा चयन संबंधी दक्षता के स्तर में भिन्नता के कारण अध्यापकों के चयन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है , चयन की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है , अध्यापकों का समय से चयन नहीं हो पा रहा है , और विभिन्न संस्थानों में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं। इससे राज्य में छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा/प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा , संस्था-स्तरीय चयन समितियों द्वारा संचालित चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव भी परिलक्षित है जिसके परिणामस्वरूप मुकदमें की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त आयोगों /संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को एक आयोग के अधीन लाने और राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उपबंध करने हेतु उपरोल्लिखित त्रुटियों को दूर करके तथा अर्हित अध्यापकों तथा अनुदेशकों के चयन द्वारा अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता ,पारदर्शिता तथा समयबद्धता लाने हेतु 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' की स्थापना के लिए विधि बनाने का विनिश्चय किया गया।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

520 RPH Adhiniyam folder (vidhaika- 2023)-data 8e